उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

फर्द अहकाम

सत्य नारायण बनाम जे.डी.ए.

नाम न्यायालय

केस संख्या 62/10

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/4/24	पत्रावली पेश हुई। नवीन वादी 340 प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC खारिज किया जाता है। वास्ते प्रति सं. 1 को जवाबदावा पेश करने हेतु न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 18/6/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] साहब अन्य [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/7/24 को पेश।
	23/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] का जवाब का अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते सत्य वादी देय दिनांक 5/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	5/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उप० नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार बार आवाज लगवाई गई। बारबार आवाज लगवाने के बाद भी वादी व उनके अधिवक्ता कोर्ट में कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी [illegible] अदम पैरवी [illegible] है। पत्रावली फैसल कुमार [illegible] इर्ज नम्बर से उप है, गत तारीख [illegible] उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested